

न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर (राज0)

राजस्व वाद सं. 53/2022


पंचसु 10 2022/23

उनवान प्रकरण :- गजराज कंवर बनाम सरकार

-: आदेश:-

वादी/प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती पत्र एवं पटवारी हल्का चावण्डिया व भू.अ.नि. चितावा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कुचामनसिटी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कालोली पटवार मण्डल चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 के खाता संख्या 20 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नालिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	ओदश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	कालोली	20	गजराज कंवर पत्नी पिता रामसिंह जाति राजपूत सा. कालोली	गजराज कंवर पत्नी रामसिंह जाति राजपूत सा. कालोली


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)


क्रमांक / 2021 / 155-157

दिनांक :- 21.6.2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार कुचामनसिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. वादीया श्रीमती गजराज कंवर पत्नी रामसिंह जाति राजपूत सा. कालोली को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली




उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)